आरएनटीसीपी के लाभार्थियों के लिए डीबीटी गजट

[संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम]

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) हेतु अनिवार्य 'आधार' के लिए यह नया गजट क्या है?

यह गजट संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की केंद्र-प्रायोजित योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 'निक्षय' नामक वेब-आधारित एप्लीकेशन का प्रयोग करके विभिन्न लाभार्थियों को इलैक्ट्रॉनिक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जो 'आधार' पर आधारित होगा।

2. यह गजट किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है?

यह गजट 'आधार' (वित्तीय एवं अन्य सबसिडियों, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है।

3. क्या कोई अन्य उदाहरण हैं जिनमें भारत सरकार द्वारा इसके जैसी राजपत्र अधिसूचना जारी की हो?

जी, हां। पहले भी कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, जैसे जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), के लिए ऐसे गजट जारी किए गए हैं।

जहां तक डीबीटी का संबंध है, 50 मंत्रालयों की 290 से अधिक योजनाएं पहले ही पंजीकृत हैं।

4. क्या यह गजट पूरे देश के लिए लागू है?

यह आधिकारिक गजट असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

5. यह गजट किस बात को अनिवार्य बनाता है?

यह गजट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति के लिए 'आधार' नम्बर होने का सबूत देने अथवा 'आधार' अधिप्रमाणन करवाने को अनिवार्य बनाता है।

6. क्या इसका आशय यह है कि टीबी रोगियों को स्वास्थ्य केंद्र पर आते समय 'आधार' कार्ड लाना होगा?

अनिवार्यत: नहीं। परंतु उन पात्र व्यक्तियों को 'आधार' अधिप्रमाणन का सबूत प्रस्तुत करना होगा जो वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

7. क्या इसका आशय यह है कि यदि लाभार्थी अपना 'आधार' कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो सेवाएं नहीं दी जाएंगी?

जी, नहीं। नि:शुल्क निदान और उपचार सहित सभी सेवाएं निर्बाध रूप से दी जाती रहेंगी।

उस स्थिति में भी पात्र व्यक्तियों को वित्तीय लाभ दिए जाएंगे जब वे सरकार द्वारा जारी कोई वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है और 'आधार' के लिए नामांकन करवा लेता है।

8. जब किसी व्यक्ति के निकट कोई 'आधार' नामांकन सुविधा न हो, तब क्या होगा?

आरएनटीपीसी को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे लाभार्थियों के लिए 'आधार' नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिन्होंने अभी तक 'आधार' के लिए

नामांकन नहीं करवाया है और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई 'आधार' नामांकन केंद्र स्थित न हो, तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस योजना के कार्यान्वयन के उत्तरदायी विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के साथ समन्वय करके अथवा यूआईडीएआई पंजीयक बन कर सुविधाजनक स्थानों पर 'आधार' नामांकन सुविधाएं प्रदान करे।

9. क्या 'आधार' नामांकन सेवाएं प्रदान करने से स्वास्थ्य सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा?

वस्तुत: नहीं। चूँकि 'आधार' का कवरेज बहुत अच्छा है और कुछेक पात्र व्यक्तियों के नामांकन के लिए ही अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

10. यदि 'आधार' कार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा?

जी, नहीं। यदि कोई व्यक्ति 'आधार' कार्ड बनवा लेने का सबूत नहीं देता है तब भी उसे किसी निदान अथवा उपचार सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।

11. ऐसे गजट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

ऐसे गजट का मुख्य उद्देश्य 'आधार' को सेवाओं अथवा लाभों अथवा सबसिडियों की सुपुर्दगी हेतु पहचान के दस्तावेज के रूप में प्रयोग करना सुनिश्चित करना है जो सरकारी सुपुर्दगी प्रक्रियाएं सरल बनाता है, पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी हकदारियां सुविधाजनक एवं सहज तरीके से सीधे ही प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

12. इस गजट के तहत शामिल लाभार्थी कौन हैं?

मौजूदा आरएनटीसीपी योजना के अनुसार, वर्तमान में, टीबी मरीज, पात्र उपचार सहायक एवं पंजीकृत निजी प्रदाता पात्र लाभार्थी हैं।

13. 'आधार' नम्बर की गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाएगी?

'आधार' कार्ड का ब्यौरा एकत्र करने वाला प्रत्येक कर्मचारी यह अंडरटेकिंग देगा कि वह इसकी गोपनीयता बनाए रखेगा और इस सूचना को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रूप में सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ईएचआर/ईएमआर नीति का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। साथ ही, आईटी एक्ट और 'आधार' एक्ट की नीति का इसकी समय-समय पर अद्यतन अधिसूचनाओं के रूप में पालन किया जाएगा।

14. इस 'आधार' जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा?

'आधार' की जानकारी का उपयोग पहचान के लिए और साथ-ही-साथ मरीजों के बैंक खातों में सीधे ही ई-भुगतान (पीएफएमएस का उपयोग करके) हेतु 'आधार' अधिप्रमाणन के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संस्थागत बनाया जाएगा।

15. यह पहल क्षयरोग के उन्मूलन में किस प्रकार मददगार होगी?

इससे पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी एवं कुशल तरीके से लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इससे कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुशासन स्थापित होगा और साथ ही, इससे जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में निजी प्रैक्टिशनरों और सामुदायिक स्वयंसेवकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरतमंद टीबी मरीजों को उनके उपचार को पूरा करने में मदद देने हेतु वित्तीय सहायता एवं सहयोग प्राप्त होगा जो क्षयरोग को समाप्त करने, अर्थात् क्षयरोग उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने, के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।